

अजय तिवारी, अवनीश झिंगन और पंकज जैन, जेजेजे के समक्ष

छूट और कर आयोग, हरियाणा (पंकज जैन, जे.) -अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स गुप्ता ब्रदर, भिवानी और अन्य - प्रतिवादी

2018 का वी.ए.टी.पी सं. 242 और संबंधित मामले

14 मार्च, 2022

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-अनुसूची-ई की प्रविष्टियां 1,2,5-उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त ने हरियाणा कर न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील दायर की-न्यायाधिकरण ने कहा कि डीलर पेट्रोल और उच्च गति वाले डीजल ['एचएसडी'] के वाष्पीकरण नुकसान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ['आईटीसी'] के हकदार थे-पीठ पीठ ने प्रश्न तैयार करके मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया:- “क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों के वाष्पीकरण/नुकसान से निपटने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आईटीसी का हकदार है?” पूर्ण पीठ ने विक्रेता यानी निर्धारित के पक्ष में जवाब दिया-पेट्रोलियम उत्पादों के वाष्पीकरण पर आई. टी. सी. का हकदार पेट्रोलियम मंत्रालय वाष्पीकरण नुकसान की अनुमति देता है- प्रविष्टि 5 के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियाँ-पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर लागू नहीं-राज्य की अपीलों को खारिज कर दिया गया।

यह माना जाता है कि पेट्रोल और एच. एस. डी. की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय मोटर स्पिरिट के मामले में 0.6% और एच. एस. डी. के मामले में 0.2% तक वाष्पीकरण नुकसान की अनुमति देता है।

(पैरा 11)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हम उन मामलों से निपट रहे हैं जहां प्रबंधन या वाष्पीकरण नुकसान निर्धारित सीमा के भीतर हैं।

(पैरा 12)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बेचे गए माल पर तेल कंपनियों द्वारा राज्य को दिया गया कर, क्रय विक्रेताओं के लिए उपलब्ध आई. टी. सी. होगा। अनुसूची ई में निर्दिष्ट वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर के लिए कोई आई. टी. सी. नहीं होगा जब उन वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में उपयोग या निपटान किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के खिलाफ अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियाँ यह हैं कि जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है या राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है। प्रविष्टि 5 के अनुसूची ई प्रविष्टि 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रविष्टि 5 के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियाँ पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर लागू नहीं होती हैं।

(पैरा 13)

आगे कहा कि, राज्य/अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में एक भ्रान्ति है, यह प्रविष्टि 5 के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों पर आधारित है, यानी जब माल का निपटान बिक्री के अलावा अन्य तरीके से किया जाता है। यदि विवाद स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुसूची ई की प्रविष्टि 1 में परिस्थिति जोड़ी जाएगी। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रविष्टि 1 के खिलाफ ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है।

(पैरा 14)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि इस प्रश्न का उत्तर विक्रेता के पक्ष में दिया जाता है अर्थात् निर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों के वाष्पीकरण पर आई. टी. सी. का हकदार होगा।

समर्थ सागर, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा

अपीलकर्ता के लिए।

संदीप गोयल, प्रतिवादी के अधिवक्ता

अवनीश जिंगान, जे।

आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा ने हरियाणा कर न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के आदेशों के खिलाफ ये अपीलें दायर की हैं। न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और कहा कि डीलर पेट्रोल और उच्च गति वाले डीजल (संक्षिप्त 'एच. एस. डी.' के लिए) के वाष्पीकरण नुकसान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षिप्त 'आई. टी. सी.' के लिए) के हकदार हैं। अपीलों में प्रचार किया गया मुद्दा **ऑल हरियाणा पेट्रोलियम एसोसिएशन, भिवानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य¹ में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच पर आधारित है**

वर्तमान अपीलों पर विचार करते हुए, यह देखते हुए कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची ई की अपीलकर्ता प्रविष्टि 1 द्वारा दिए गए निर्णय में [संक्षेप में 'अधिनियम'] पर विचार नहीं किया गया था और आई. टी. सी. को क्रेडिट के बजाय देयता के रूप में लिया गया था, खण्ड पीठ निम्नलिखित प्रश्न तैयार करके मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया:-

“क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित वाष्पीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आई. टी. सी. का हकदार है।

पेट्रोलियम उत्पादों के नुकसान को संभालना?”

(2) सुविधा के लिए, वी.ए.टी.पी-242-2018 से तथ्य निकाले जा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 पेट्रोल पंप चलाने वाला और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगा हुआ विक्रेता है। 23 दिसंबर, 2013 को आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, भिवानी द्वारा आई. टी. सी. के दावे की अनुमति देते हुए मूल्यांकन वर्ष 2010-11 [संक्षिप्त

'ए. वाई.' के लिए] के लिए मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया था। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने 19 अगस्त, 2016 के आदेश के माध्यम से मूल्यांकन को संशोधित किया। वाष्पीकरण हानि के लिए आई. टी. सी. को उलट दिया गया था। न्यायाधिकरण ने विक्रेता की दलील को स्वीकार कर लिया और 3 जुलाई, 2017 को अपील को स्वीकार कर लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने वाष्पीकरण पर आई. टी. सी. के दावे की उचित अनुमति दी। राज्य द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा 4 मई, 2018 को खारिज कर दिया गया था।

(3) श्री समर्थ सागर, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा ने राज्य/अपीलकर्ता की ओर से पेश होते हुए तर्क दिया कि वाष्पित पेट्रोल और एच. एस. डी. का निपटान बिक्री के माध्यम से नहीं था, इसलिए विक्रेता अधिनियम की अनुसूची ई की प्रविष्टि 5 के अनुसार आई. टी. सी. का हकदार नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि यह मुद्दा ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स में इस अदालत की खण्ड पीठ के फैसले से अपीलकर्ता के पक्ष में आता है।

एसोसिएशन का मामला (सुप्रा)।

(4) डीलरों की ओर से पेश अधिवक्ता श्री संदीप गोयल ने न्यायाधिकरण के आदेश का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूची ई की प्रविष्टि 5 पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि वाष्पित पेट्रोल और एच. एस. डी. के लिए आई. टी. सी. का उलटना पहले मुद्दा नहीं था। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मामले में उच्च न्यायालय ((सुप्रा))। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें शामिल माल की प्रकृति को देखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि माल का निपटान बिक्री के अलावा अन्य तरीके से किया गया था।

(5) सुविधा के लिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 की धारा 2 (1) (डब्ल्यू), धारा 2 (1) (जेडजी), धारा 2 (1) (जेडजी), धारा 8 और अनुसूची ई को सुसंगत ए. वाई. और नियम 40 के दौरान पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

- अधिनियम की धारा 2 (1) (डब्ल्यू):

“निवेश कर” से किसी वैट विक्रेता को बेचे गए माल के संबंध में राज्य को भुगतान की गई कर की राशि अभिप्रेत है, जिसकी गणना धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिसे ऐसे विक्रेता को उसके द्वारा कर के भुगतान के रूप में जमा करने की अनुमति है;

• अधिनियम की खंड 2 (1) (जेडजी):

"बिक्री मूल्य" का अर्थ है किसी भी सामान की बिक्री के लिए डीलर को देय राशि, आमतौर पर व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार बिक्री के समय नकद या व्यापार छूट के रूप में दी गई किसी भी राशि को घटाकर, लेकिन इसके लिए ली गई किसी भी राशि को मिलाकर डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा किया गया कुछ भी और अभिव्यक्ति "खरीद मूल्य" को तदनुसार समझा जाएगा।

• अधिनियम की धारा 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण (वी):

राज्य में खुदरा आउटलेट पर डीजल या पेट्रोल की बिक्री के लिए तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि उस कीमत के बराबर मानी जाएगी जिस पर खुदरा आउटलेट इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचते हैं।

• अधिनियम की धारा 8:

(1) वैट व्यापारी द्वारा खरीदी गई किसी भी वस्तु के संबंध में निवेश कर वह कर राशि होगी जो उसे ऐसी वस्तु की बिक्री पर राज्य को दी जाती है और वह व्यापारी जो धारा 3 की उप- धारा (1) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या, जैसा भी मामला हो, धारा 11 की उप- धारा (2) के तहत समय पर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, उस दिन उसके द्वारा स्टॉक में रखे गए माल (पंजीगत वस्तुओं को छोड़कर) के संबंध में इस अधिनियम और 1973 के अधिनियम के तहत भुगतान किया गया कर शामिल करेगा जिस दिन वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसी वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में उपयोग की गई या निपटाई गई अनुसूची ई में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा:

बशर्ते कि जहां राज्य में खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग या निपटान अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियों में आंशिक रूप से और अन्यथा आंशिक रूप से किया जाता है, वहां ऐसी वस्तुओं के संबंध में निवेश कर की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी:

बशर्ते कि यदि राज्य में खरीदी गई किसी भी वस्तु के संबंध में निवेश कर का लाभ उठाया गया है, लेकिन ऐसी वस्तुओं का बाद में अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियों में उपयोग या निपटान किया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में निवेश कर को उलट दिया जाएगा।

(2) किसी वैट व्यापारी को जारी किया गया कर चालान, जिसमें चालान किए गए माल की बिक्री पर उससे वसूला गया कर दिखाया गया हो, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए ऐसे माल पर भुगतान किए गए कर का पर्याप्त प्रमाण होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के तहत किसी व्यापारी को बेचे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर के किसी भी दावे पर सवाल उठाया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला प्राधिकरण ऐसे व्यापारी से माल की बिक्री के संबंध में विक्रेता द्वारा उसे जारी किए गए कर चालान के अलावा, विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से उसे प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र पेश करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण दावे की अनुमति केवल तभी देगा जब वह ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाए जो यह आवश्यक समझे कि उसके सामने पेश किए गए प्रमाण पत्र में निहित विवरण सही और दरुस्त हैं।

(4) राज्य सरकार, समय-समय पर, निवेश कर की गणना के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है और जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, तो ऐसे नियमों के अनुसार किसी भी निवेश के अलावा कर की गणना नहीं की जाएगी।

• अधिनियम की अनुसूची ई:

अनुसूची ई

इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं सामान

(धारा 8 की उप- धारा (1) देखें)

	वस्तुओं का विवरण	ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें निवेश कर शून्य होगा
1	2	3
1	पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस उप. वीडियो एस. ओ. 93, दिनांक 08-07-2003 डब्ल्यू. ई. एफ. 01-08-2003	(i) जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है (ii) जब राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है
	पेट्रोलियम आधारित ईंधन और प्राकृतिक गैस डब्ल्यू. ई. एफ. 01-04-2003 से 31-07-2003	जब फिर से बेचा जाता है
2	पूँजीगत वस्तुएँ	(i) जब इसका उपयोग मुख्य रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या विद्युत ऊर्जा या बिजली के अन्य रूपों के उत्पादन और वितरण में किया जाना हो; या (ii) पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्द होने की तारीख को सकल खंड का हिस्सा बनाते समय
3	छोड़ दिया गया डब्ल्यू. ई. एफ. 30.06.2005	
4	छोड़ दिया गया डब्ल्यू. ई. एफ. 30.06.2005	
	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएँ	(i) जब दूरसंचार नेटवर्क में, खनन में, या बिजली के उत्पादन और वितरण में उपयोग किया जाता है, (ii) जब राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है या अन्यथा बिक्री के अलावा निपटाया जाता है; (iii) जब छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है, सिवाय इसके कि जब ऐसी वस्तुएं भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बेची जाती हैं; (iv) जब कर योग्य वस्तुओं के निर्माण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है जो राज्य से बाहर निर्यात की जाती हैं या अन्यथा बिक्री के अलावा निपटाई जाती हैं; (v) जब स्टॉक में छोड़ दिया जाता है, चाहे वह खरीदे गए रूप में हो या निर्मित या संसाधित रूप में, पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्द होने की तारीख को।
		(vi) जब कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा बेचा जाता है
	6. शराब परिभाषित पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 में	जब राज्य में बार लाइसेंसधारियों द्वारा बेचा जाता है (लाइसेंस एल-4/एल-5/एल-12सी/एल-12जी/एल-10ई)।

• हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 का नियम 40:

40. उत्पादन कर, खरीद कर, निवेश कर और देय कर। (1) कर अवधि के लिए एक वैट विक्रेता के संबंध में उत्पादन कर, कर अवधि के दौरान राज्य में उसके द्वारा की गई कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर गणना किए गए कर का कुल योग है। इसका प्रतिनिधित्व नियम 53 में निर्धारित दिन पुस्तिका (बिक्री पक्ष) में कॉलम (एच) में कुल प्रविष्टियों द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य में वैट विक्रेता द्वारा खरीदी गई कोई भी वस्तु, जिसकी बिक्री पर उसे अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगाया जाता है या भुगतान नहीं किया जाता है और ऐसी वस्तुओं का उपयोग या निपटान उसके द्वारा कर अवधि के दौरान उन परिस्थितियों में किया जाता है जब उसके द्वारा कोई कर देय नहीं होता है। अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के तहत उन पर या उनसे निर्मित वस्तुओं पर, तब वह, जब ऐसी वस्तुएं अधिनियम की अनुसूची एफ में निर्दिष्ट वस्तु नहीं होती हैं, या ऐसी वस्तुओं से निर्मित वस्तुएं भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बेची जाती हैं, तो धारा 7 की उप- धारा (1) के धारा (बी) में निर्दिष्ट दर (ओं) पर ऐसी वस्तुओं की खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कर अवधि के लिए वैट विक्रेता के संबंध में निवेश कर, कर अवधि के दौरान कर चालान (ओं) पर अन्य वैट विक्रेताओं से राज्य में खरीदी गई वस्तुओं के संबंध में भुगतान किए गए कर का योग है, जो उक्त अवधि के संबंध में दिन पुस्तिका (खरीद पक्ष) में कॉलम (जी) में की गई प्रविष्टियों का योग होगा, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची ई में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में भुगतान की गई कर की राशि से कम किया गया है, जब उपयोग किया जाता है, उक्त अवधि के दौरान उपयोग या निपटान करने का इरादा होता है या जब उक्त अवधि के अंत में स्टॉक में छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में कम की जाने वाली यथानुपात गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी जहां अधिनियम की अनुसूची ई में निर्दिष्ट वस्तुओं का उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में आंशिक रूप से उपयोग या निपटान किया गया है।

चित्रण-वैट व्यापारी डी के मामले में कर अवधि के संबंध में दिन की पुस्तक (खरीद पक्ष) में कॉलम (जी) में की गई प्रविष्टियों का कुल योग Rs.10,000 है। डी ने उक्त अवधि के दौरान

राज्य से बाहर Rs.100,000/- मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया। (खेप पर बिक्री के लिए भेजा गया) इन वस्तुओं को उन्होंने राज्य में वैट विक्रेताओं से पिछले तीन कर अवधियों के दौरान कर चालान पर 8,000 रुपये के कुल कर के भुगतान पर खरीदा था। डी का निवेश कर 2,000 रुपये है।

(4) कर अवधि के लिए एक वैट विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाने वाला देय कर, उप-नियम (1) के तहत गणना किया गया उत्पादन कर और उप-नियम (2) के तहत गणना किया गया खरीद कर होगा, जिसमें उप-नियम (3) के तहत गणना किया गया निवेश कर शामिल नहीं होगा।

अंकगणितीय रूप से कहें:

देय कर = उत्पादन कर + खरीद कर-निवेश कर।

(6) “इनपुट टैक्स” वैट डीलर को बेचे जाने वाले सामान पर राज्य को दिया जाने वाला कर है। क्रय विक्रेता भुगतान किए गए कर का श्रेय लेने का हकदार है जैसे कि वह उसके द्वारा भुगतान किया गया हो। ऋण की गणना अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार की जानी है।

(7) धारा 2 (1) (जेडजी) की परिभाषा के अनुसार, “बिक्री मूल्य” का अर्थ है माल की बिक्री के लिए देय प्रतिफल, कम नकद/व्यापार छूट, लेकिन इसमें माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले विक्रेता द्वारा माल के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए ली गई राशि शामिल है।

[7.1] “बिक्री मूल्य” की पाँच व्याख्याएँ हैं। वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण (v) है, जिसे 29 सितंबर, 2011 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया है। स्पष्टीकरण (v) के अनुसार, खुदरा दुकानों द्वारा ग्राहकों से ली जाने वाली बिक्री मूल्य को तेल कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों को पेट्रोल या एच. एस. डी. से की गई बिक्री के लिए प्राप्त राशि माना जाएगा।

(8) धारा 8 (1) के अनुसार, इनपुट कर वैट विक्रेता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री पर राज्य को भुगतान की गई कर की राशि होगी। धारा 3 (1) के तहत कर का भुगतान करने या धारा 11 (2) के तहत आवेदन करने के लिए उत्तरदायी विक्रेताओं के लिए इनपुट कर में इस अधिनियम के तहत या हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत विक्रेता द्वारा स्टॉक में रखे गए सामान पर भुगतान किया गया कर शामिल होगा। अनुसूची ई में उल्लिखित वस्तुओं पर भुगतान किया गया कर, जिनका उपयोग या निपटान अनुसूची में उनके खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया है, निवेश कर में शामिल नहीं होगा।

[8.1] अधिनियम की उप-धारा (1) धारा 8 के पहले परंतुक में प्रावधान है कि जहां अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियों में माल का आंशिक रूप से उपयोग या निपटान किया जाता है और आंशिक रूप से अन्यथा, वहां इनपुट यथानुपात की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

[8.2] यदि राज्य में निवेश कर का लाभ उठाने के बाद खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है या उनका निपटान किया जाता है, तो दूसरे परंतुक में निवेश कर को वापस लेने का प्रावधान है।

[8.3] उप-धारा (2) के अनुसार, वैट विक्रेता को जारी किया गया कर चालान, जिसमें विक्रेता से प्रभारित कर दिखाया गया है, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, भुगतान किए गए कर का पर्याप्त प्रमाण होगा।

[8.4] उप-धारा (3) के अनुसार, यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही में निवेश कर पर सवाल उठाया जाता है, तो प्राधिकरण कर चालान के अलावा प्रमाण पत्र (जैसा निर्धारित किया गया है) प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। दावे की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब प्राधिकरण इस बात की जांच करने पर खुद को संतुष्ट करेगा कि प्रमाण पत्र में निहित विवरण सही और दुरुस्त हैं।

[8.5] उप-धारा (4) के अनुसार, राज्य सरकार की गणना के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है। निवेश कर, यदि नियम बनाए जाते हैं, तो निवेश कर की गणना ऐसे नियमों के अनुसार की जाएगी।

(9) अनुसूची ई. डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2003 में पहली वस्तु पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस है और यदि इन उत्पादों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है या राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

[9.1] प्रविष्टि 2 पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित है और उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें यदि उपयोग किया जाता है, तो निवेश शून्य होगा।

[9.2] प्रविष्टि 5 में यह प्रावधान है कि क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं का उपयोग यदि प्रविष्टि संख्या 5 के खिलाफ उल्लिखित छह परिस्थितियों में किया जाता है, तो कोई निवेश कर उपलब्ध नहीं होगा। प्रविष्टि सं. 5 के विरुद्ध दूसरी शर्त है 'यदि राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है या बिक्री के अलावा अन्यथा निपटाया जाता है'।

(10) नियम 40 में उत्पादन कर, खरीद कर, निवेश कर और देय कर की गणना का प्रावधान है।

[10.1] इसके उप नियम (1) के अनुसार, कर अवधि के दौरान विक्रेता द्वारा कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर कर उत्पादन कर होगा।

[10.2] उप-नियम (2) खरीद कर से संबंधित है यदि राज्य के भीतर खरीदी गई वस्तुओं पर अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगाया जाता है और उसके बाद ऐसी वस्तुओं का उपयोग या निपटान इस तरह से किया जाता है कि उनसे निर्मित वस्तुओं या वस्तुओं पर अधिनियम या केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं है, तो अधिनियम की खंड 7 (1) (बी) के तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार खरीद पर कर लगाया जाएगा। अपवाद तब होता है जब ऐसी वस्तुओं या निर्मित वस्तुओं को भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है। इसके अलावा अनुसूची एफ में उल्लिखित वस्तुएं, भले ही भारत से बाहर निर्यात की जाती हों, खरीद कर के लिए उत्तरदायी होंगी।

[10.3] उप-नियम (3) में प्रावधान है कि निवेश कर अन्य वैट विक्रेताओं से राज्य में कर चालान पर खरीदी गई वस्तुओं के संबंध में भुगतान किया गया कर होगा। अनुसूची ई में निर्दिष्ट

वस्तुओं के लिए इनपुट कर को घटाया जाएगा जब अनुसूची ई में उन वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में कर अवधि के दौरान उपयोग किया जाता है या उपयोग करने का इरादा होता है या निपटाया जाता है या स्टॉक में छोड़ दिया जाता है।

[10.4] उप-नियम (4) के अनुसार, देय कर उत्पादन कर के साथ-साथ खरीद कर रहित निवेश कर होगा।

(11) यह माना जाता है कि पेट्रोल और एच. एस. डी. की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय मोटर स्पिरिट के मामले में 0.6% और एच. एस. डी. के मामले में 0.2% तक वाष्पीकरण नुकसान की अनुमति देता है।

(12) हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हम मामलों से निपट रहे हैं जहाँ प्रबन्धन या वाष्पीकरण हानि निर्धारित सीमा के भीतर होती है।

(13) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बेचे गए सामान पर तेल कंपनियों द्वारा राज्य को दिया जाने वाला कर, क्रय विक्रेताओं के लिए आई. टी. सी. उपलब्ध होगा। अनुसूची ई में निर्दिष्ट वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर के लिए कोई आई. टी. सी. नहीं होगा जब उन वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में उपयोग या निपटान किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के खिलाफ अनुसूची ई में उल्लिखित परिस्थितियाँ यह हैं कि जब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है या राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है। अनुसूची ई की प्रविष्टि 5 प्रविष्टि 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रविष्टि 5 के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियाँ पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर लागू नहीं होती हैं।

(14) राज्य/अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में एक भ्रांति है, यह प्रविष्टि 5 के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों पर आधारित है, यानी जब माल का निपटान बिक्री के अलावा अन्य तरीके से किया जाता है। यदि विवाद स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनुसूची ई की प्रविष्टि 1 में परिस्थिति जोड़ी जाएगी। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रविष्टि 1 के खिलाफ ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है।

(15) धारा 2 (1) (जेडजी) का स्पष्टीकरण (वी) अधिसूचना दिनांक 29.09.2011 के माध्यम से डाला गया था। स्पष्टीकरण ने काल्पनिक धारणा दी कि खुदरा दुकानों का बिक्री मूल्य तेल कंपनियों द्वारा खुदरा दुकानों को पेट्रोल और एच. एस. डी. की बिक्री के लिए प्राप्त राशि मानी जाएगी।

(16) अधिनियम की धारा 2 (1) (जेडजी) के स्पष्टीकरण (वी) के अधिकार इस अधिनियम की खण्ड पीठ के समक्ष चुनौती का विषय थे। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मामले में अदालत (सुप्रा)। खण्ड पीठ द्वारा प्रावधानों के अधिकारों को बरकरार रखा गया था। वाष्पीकरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रत्यावर्तन के संबंध में मुद्दा खण्ड पीठ के समक्ष विषय नहीं था। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा एक परिधीय तर्क दिया गया था कि उपलब्ध निवेश कर और विक्रेताओं द्वारा लिए गए ऋण के बीच अंतर लगातार बढ़ता जाएगा। खण्ड पीठ ने इस तर्क को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने मोटर स्पिरिट के लिए 0.6% और एच. एस. डी. के लिए 0.20% तक वाष्पीकरण नुकसान की अनुमति दी है। पेट्रोलियम व्यापारी के मामले में गणना करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए जारी विभागीय निर्देश भी भेजे गए थे। हालांकि, यह उल्लेख किया गया था कि अनुसूची ई की प्रविष्टि 5 के खिलाफ शर्त (ii) के अनुसार, वाष्पीकरण पर आई. टी. सी. शून्य होगा।

(17) खण्ड पीठ ने अधिनियम की धारा 8 और अनुसूची ई की प्रविष्टि 1 की भाषा पर विचार नहीं किया था। खंड 8 विशेष रूप से प्रदान करती है कि इनपुट टैक्स में उल्लिखित वस्तुओं पर भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा। अनुसूची ई में जब ऐसी वस्तुओं के खिलाफ उल्लिखित परिस्थितियों में उपयोग या निपटान किया जाता है। "ऐसी वस्तुओं के खिलाफ "महत्वपूर्ण है। अनुसूची ई की प्रविष्टि 5 को पढ़ने से भी यह स्पष्ट है कि प्रविष्टि अनुसूची ई की प्रविष्टि 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर लागू होती है।

(18) विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वाष्पीकरण बिक्री के अलावा माल का निपटान नहीं है। हम

इस तर्क पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान को देखते हुए, इस तर्क में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(19) इस प्रश्न का उत्तर विक्रेता के पक्ष में दिया जाता है अर्थात् निर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों के वाष्पीकरण पर आई. टी. सी. का हकदार होगा।

(20) राज्य द्वारा दायर अपीलों को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(21) चूंकि अपीलों को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, इसलिए विलंब की माफी के लिए आवेदन, यदि कोई हो, सहित लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

(22) इस आदेश की फोटोकॉपी जुड़ी हुई अपीलों की फाइलों पर रखी जाए।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Vijay kumar - translator